संख्या-191/2025/2220/22-2-2024-17(475)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 25 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमकार उर्फ झब्बू पुत्र श्री सेवाराम, निवासी जनपद-शाहजंहापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-37784/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-10-12-2024) दिनांक-12-12-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमकार उर्फ झब्बू (बन्दी संख्या-50516) पुत्र श्री सेवाराम, निवासी-गुवारी, थाना-रामचन्द्र मिशन, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। बंदी द्वारा पुरानी जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 19-02-2006 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बाँका व तमन्चों से गोली मारकर सुमित (10 माह), रानू (04 वर्षीय) व फूलकली नामक 03 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण नं0-520/2006, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 394 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-01, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 24.12.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 08.04.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 10 माह, 02 दिन तथा 21 वर्ष, 11 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9 (2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, बन्दी की उम्र 50 वर्ष से कम है जिसके द्वारा पुनः अपराध करने से इन्कार नही किये जाने, बन्दी द्वारा जघन्य अपराध किया गया था, बंदी के छूटने के उपरांत समाज में भय एवं असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने से इन्कार नहीं किये जाने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा पुरानी जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 19.02.2006 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बॉका व तमन्चों से गोली मारकर सुमित (10 माह). रानू (04 वर्षीय) व फूलकली नामक 03 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ओमकार उर्फ झब्बू पुत्र श्री सेवाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमकार उर्फ झब्बू (बन्दी संख्या-50516) पुत्र श्री सेवाराम, निवासी जनपद-शाहजहांपुर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-191/2025/2220(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा (क्रि0) डायरी सं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-191/2025/2220/22-2-2024-17(475)/2024

दिनांक: 25 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमकार उर्फ झब्बू (बन्दी संख्या-50516) पुत्र श्री सेवाराम, निवासी-गुवारी, थाना-रामचन्द्र मिशन, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। बंदी द्वारा पुरानी जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 19-02-2006 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बाँका व तमन्चों से गोली मारकर सुमित (10 माह), रानू (04 वर्षीय) व फूलकली नामक 03 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण नं0-520/2006, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 394 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-01, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 24.12.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 08.04.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 10 माह, 02 दिन तथा 21 वर्ष, 11 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9 (2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, बन्दी की उम्र 50 वर्ष से कम है जिसके द्वारा पुनः अपराध करने से इन्कार नही किये जाने, बन्दी द्वारा जघन्य अपराध किया गया था, बंदी के छूटने के उपरांत समाज में भय एवं असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने से इन्कार नहीं किये जाने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा पुरानी जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 19.02.2006 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बॉका व तमन्चों से गोली मारकर सुमित (10 माह). रानू (04 वर्षीय) व फूलकली नामक 03 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ओमकार उर्फ झब्बू पुत्र श्री सेवाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in